बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।

'आदेश'

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) एवं 7(1) के अन्तर्गत वांछित सूचना एवं कागजात उपलबध कराने के के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूना सं0-2819 दिनांक-27-3-06 के आलोक में वित्त विभाग के आदेश संख्या-5541/वि0(2) दिनांक-24-8-06 द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया था ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-1116 दिनांक-31-01-2007 द्वारा सूचना के अधिकार के तहत अपीलीय प्राधिकार के स्तर पर अपील दायर करने हेतु आवेदन के लिए दस रुपये प्रति अपील शुल्क निर्धारित किया गया है ।

कार्मिक एव प्र0सु0 विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने हेतु शुल्क का निर्धारण नम्न प्रकार किया जाता है :-

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने हेतु आवेदन	दस रुपये प्रति अपील

वित्त विभाग के आदेश संख्या-5541 दिनांक-24-8-06 की कंडिका-4 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

(अजय कुमार चौधरी)
उप सचिव-सह-लो0सू0 पदा0,
वित्त विभाग ।

ज्ञापांक-सू0को0-14/2006/ /वि0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित

(अजय कुमार चौधरी)
उप सचिव-सह-लो0सू0पदा0,
वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- /वि0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पटना/मुख्य लेखा नियंत्रक, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/अधीक्षक, गवर्नमेंट प्रेस एवं फार्म्स, गया को सूचनार्थ प्रेषित ।

(अजय कुमार चौधरी)
उप सचिव-सह-लो0सू0पदा0
वित्त विभाग ।

ज्ञापांक-   /वि0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अपर सचिव, कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग, बिहार, पटना को उनकी अधिसूचना संख्या-1116 दिनांक-31-01-2007 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

(अजय कुमार चौधरी)
उप सचिव-सह-लो0सू0पदा0,
वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- 1448 /वि0, पटना, दिनांक- 7/3/07

प्रतिलिपि- सचिव, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(अजय कुमार चौधरी)
उप सचिव-सह-लो0सू0पदा0,
वित्त विभाग ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-

संख्या-8/सू0अ0-15-02/06का0-______________ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त नियमावली, 2006 के नियम-3 का उप नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(1) जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहते है, प्रपत्र-'क' में विहित फीस के साथ अथवा ई-मीडिया के माध्यम से आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी अथवा अभिहित कॉल सेन्टर को देंगे । आवेदक को आवेदन प्राप्त करने की रसीद प्रपत्र-'ख' में दी जाएगी । जहाँ नकद प्राप्ति रसीद की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ फीस का नकद रूप में भुगतान किया जा सकेगा अन्यथा डिमान्ड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर या भुगतान-आदेश या नन-जूडिशियल स्टाम्प अथवा इलेक्ट्रोनिकली इनेवुल्ड मीडियम द्वारा भुगतान किया जा सकेगा ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(गोकुल किशोर दत्त)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-8/सू0अ0-15-02/06का0- /पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस राजपत्र की दो सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-8/सू0अ0-15-02/06का0- /पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार,बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

(16) सचिव सह निबंधक,
राज्य सूचना आयोग

ज्ञापांक-8/सू0अ0-15-02/06का0- 1165 /पटना-15, दिनांक- 30.1.08

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त/महानिदेशक, बिपार्ड/प्रबन्ध निदेशक, बेलट्रॉन/सचिव-सह-निबंधक, राज्य सूचना आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) 30.01.2008
सरकार के उप सचिव

अनुलग्नक-2

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: अधिसूचना ::

सं0-8/सू0आ0-15-02/06का0- 1166 /अधिसूचना सं0 दिनांक 30.1.08 का अंग्रेजी निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अन्तर्गत उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.01.2008

सरकार के उप सचिव

Government of Bihar

Department of Personnel & Administrative Reforms

Notification

No.8/Su.Aa.-15-02/2006ka____________Patna, Dated________

In exercise of powers conferred by sec. 27 of the RTI Act, 2005, the Government of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar, Right To Information, Rules, 2006 with immediate effect :-

Amendments

Sub rule (1) of Rule 3 of the said Rules, 2006 shall be substituted by the following :-

"(1) A person, who desires to obtain information, shall make as application in Form 'A' accompanied with the prescribed fees, or through the E-medium, to the Public Information Officer or designated Call Centre. The receipt of the application shall be given to the applicant in Form 'B'. The fees may be paid in cash, wherever facility for cash receipt is available. otherwise, by demand draft or by postal order or by pay order or in the Form of non-judicial stamp or electronically enabled medium."

By order of the Governor, Bihar

Sd/-

Dy. Secretary to the Govt. of Bihar

(13) सचिव एवं निबंधक,
राज्य सूचना आयोग,
पटना

Memo No.-8/Su.Aa.-15-02/2006ka__________ Patna, Dated__________

Copy forwarded to the Superintendent, Government press, Gulzarbagh, Patna for information and publication in extra-ordinary issue of Bihar, Gazette. He is requested to send 200 copies of the said Gazette to the department.

Sd/-

Dy. Secretary to the Govt. of Bihar

Memo No.-8/Su.Aa.-15-02/2006ka__________ Patna, Dated__________

Copy forwarded to A.G., Bihar, Patna/ All Departments of the State Government/ All Head of the Departments/ All Divisional Commissioners/ All D.M.s for information.

Sd/-

Dy. Secretary to the Govt. of Bihar

Memo No.-8/Su.Aa.-15-02/2006ka 1169 Patna, Dated 30.1.08

Copy forwarded to Secretary to the Chief Secretary/Principal Secretary to the Chief Minister/ Development Commissioner/ Director Gen., BIPARD/Managing Director, BELTRON/Secretary-cum-Registrar of the State Information Commission, Patna for information and necessary action.

01.2.2008

Dy. Secretary to the Govt. of Bihar

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना

पत्रांक-टी०एम०-उपशीर्ष-1652

पटना, दिनांक- 24-9-2008.

बिहार राज्य सूचना आयोग
तेलेगी 1 OCT 2008
बिहार, पटना

प्रधान सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय:- मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें एवं 0070-अन्य प्रशास... सेवायें, समूह शीर्ष गैर योजना एवं प्राप्ति के अन्तर्गत उपशीर्ष खो... संबंध में ।

7215 34/10

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8/सू०आ०-15-56/07-7462 दिनांक 17-8-7-2008 के संदर्भ में महालेखाकार, बिहार, पटना ने मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशास-निक सेवायें एवं 0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, समूह शीर्ष गैर योजना एवं प्राप्ति के अन्तर्गत प्रस्तावित उप शीर्ष खोलने की सहमति प्रदान की है, जो निम्नवत है:-

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष
2070	00	800	0018-सूचना आवेदकों को देय क्षति पूर्ति विपत्र कोड-एन-207000800018
0070	60	118	0003-लोक सूचना पदाधिकारी से वसू... दंड राशि विपत्र कोड-आर-007060118000З

कृपया पत्र की पावती दें ।

भवदीय,
ह०/-
लेखा अधिकारी, ...
पटना ।

=========

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

ज्ञाप संख्या-8/सू०आ०-15-56/2007-का० 11156 /पटना, दिनांक 17 अक्टू...

प्रतिलिपि-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/तथा सचिव, राज्य सूचना आ... पटना को उनके पत्रांक-2230 दिनांक 17-3-2008 के प्रसंग में सूचना एवं आवश... कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचि...

नरेश/

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनाक 19.11.2009

संख्या–8/सू.अ.–15–02/2006का. 12522 /सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम 22, 2005) की धारा–27 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 में संशोधन के लिए निम्नांकित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।–

(1) यह नियमावली बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2009 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–2 {यहाँ इसके बाद 'मुख्य नियमावली' के रूप में संदर्भित} का संशोधन ।–

मुख्य नियमावली के नियम–2 में खण्ड–(च) के बाद एक नया खण्ड–(छ) जोड़ा जाएगा :–

खण्ड–(छ) जानकारी कॉल सेन्टर से अभिप्रेत है राज्य सरकार का एक पहल, जिसके माध्यम से दूरभाष/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना माँगी जा सकती है ।

3. मुख्य नियमावली के नियम–3 का संशोधन :–

(1) मुख्य नियमावली के नियम–3 के उप नियम–(2) के खंड(ii) के परन्तुक के पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा:–

(iii) उक्त शुल्क जमा करते समय आवेदक स्व-पता लिखित एवं डाक टिकट (सामान्य डाक, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट) सटा हुआ लिफाफा भी लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि किसी आवेदक ने स्व-पता लिखित एवं डाक टिकट सटा हुआ लिफाफा नही संलग्न किया है तो इस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकृत नही होगा ।

(2) मुख्य नियमावली के नियम–3 के उप नियम–2 के खण्ड–(ii) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाएगा :–

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के ऐसे व्यक्तियों को मात्र 10 (दस) पृष्ठों तक की सूचना निःशुल्क दी जा सकेगी और 10 पृष्ठों से ज्यादा होने पर नियमानुसार शुल्क प्रभारित की जायेगी ।

4. नया नियम–3–क का जोड़ा जाना :–

C:\Users\dell\Desktop\Ramashi Joc\Ramashis\8-su-Adi-15-02-2006.doc

मुख्य नियमावली के नियम–3 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा :-

3. क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए लिखित अनुरोध एकमात्र विषय से संबंधित होगा और यह सामान्यतया एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा । यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों पर सूचना चाहता हो तो वह अलग–अलग आवेदन सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दे सकता है ।

परन्तु यह कि यदि एक से अधिक विषयों से संबंधित सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो लोक सूचना पदाधिकारी प्रथम विषय मात्र से सूचना देगा और आवेदक को परामर्श देगा कि अन्य विषयों में से प्रत्येक के संबंध में अलग–अलग आवेदन करें ।

5. मुख्य नियमावली के नियम–4 में उप नियमों का जोड़ा जाना :–

मुख्य नियमावली में नियम–4 में उप नियम (2) के बाद नियम जोड़ा जाएगा :–

(3) केवल ऐसी सूचना प्रदान की जाएगी जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो ऐसे मामले में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा और इसकी सूचना आवेदक को भी देगा । यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए, तो वह आवेदक को सूचित कर देगा कि माँगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी ।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में, लोक सूचना पदाधिकारी उपलब्ध सूचना दे देगा तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकरण के पास शेष भाग की सूचना प्रदान करने के लिए भेज देगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध हैं तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है तो ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण का लोक सूचना पदाधिकारी अपने से संबंधित सूचना दे देगा तथा साथ ही आवेदक को सलाह देगा कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन करे ।

(7) 'जानकारी' कॉल सेन्टर द्वारा प्राप्त कोई आवेदन यदि किसी ऐसे लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित किया जाता है और वह आवेदन वास्तव में किसी अन्य लोक सूचना

पदाधिकारी से संबंधित होता है, तो प्राप्तकर्त्ता लोक सूचना पदाधिकारी उस आवेदन को सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत जैसा आवश्यक हो, निष्पादन हेतु स्थानांतरित कर देगा । इस मामलों में प्रथम बार आवेदन प्राप्त करने वाला लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने हेतु उस आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी नहीं समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना बिहार को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी मुद्रित 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को सुलभ कराने हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के सचिव/उप मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव, मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/सचिव, बिहार सूचना आयोग तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार विधान सभा, पटना तथा सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना को एक सी0डी0 तथा दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 2009

प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.11.09 की मद संख्या–18 द्वारा स्वीकृति के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 19.11.2009

संख्या-8/सू.अ.-15-02/2006का. 12522 /सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम 22, 2005) की धारा-27 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 में संशोधन के लिए निम्नांकित नियमावली बनाती है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

(1) यह नियमावली बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2009 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-2 (यहाँ इसके बाद 'मुख्य नियमावली' के रूप में संदर्भित) का संशोधन।-

मुख्य नियमावली के नियम-2 में खण्ड-(च) के बाद एक नया खण्ड-(छ) जोड़ा जाएगा :-

खण्ड-(छ) जानकारी कॉल सेन्टर से अभिप्रेत है राज्य सरकार का एक पहल, जिसके माध्यम से दूरभाष/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना माँगी जा सकती है ।

3. मुख्य नियमावली के नियम-3 का संशोधन :-

(1) मुख्य नियमावली के नियम-3 के उप नियम-(2) के खंड(ii) के परन्तुक के पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा:-

(iii) उक्त शुल्क जमा करते समय आवेदक स्व-पता लिखित एवं डाक टिकट (सामान्य डाक, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट) सटा हुआ लिफाफा भी लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि किसी आवेदक ने स्व-पता लिखित एवं डाक टिकट सटा हुआ लिफाफा नही संलग्न किया है तो इस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकृत नही होगा ।

(2) मुख्य नियमावली के नियम-3 के उप नियम-2 के खण्ड-(ii) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाएगा :-

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के ऐसे व्यक्तियों को मात्र 10 (दस) पृष्ठों तक की सूचना निःशुल्क दी जा सकेगी और 10 पृष्ठों से ज्यादा होने पर नियमानुसार शुल्क प्रभारित की जायेगी ।

4. नया नियम-3-क का जोड़ा जाना :-

C:\Users\...\Desktop\...\8-on-Adv-15-02-2006.doc

मुख्य नियमावली के नियम–3 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा

3. क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए लिखित अनुरोध एकमात्र विषय से संबंधित होगा और यह सामान्यतया एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा ; यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों पर सूचना चाहता हो तो वह अलग–अलग आवेदन सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दे सकता है ।

परन्तु यह कि यदि एक से अधिक विषयों से संबंधित सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो लोक सूचना पदाधिकारी प्रथम विषय मात्र से सूचना देगा और आवेदक को परामर्श देगा कि अन्य विषयों में से प्रत्येक के संबंध में अलग–अलग आवेदन करे ।

5. मुख्य नियमावली के नियम–4 में उप नियमों का जोड़ा जाना :–

मुख्य नियमावली में नियम–4 में उप नियम (2) के बाद नियम जोड़ा जाएगा –

(3) केवल ऐसी सूचना प्रदान की जाएगी जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो ऐसे मामले में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा और इसकी सूचना आवेदक को भी देगा । यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए, तो वह आवेदक को सूचित कर देगा कि माँगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी ।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में, लोक सूचना पदाधिकारी उपलब्ध सूचना दे देगा तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकरण के पास शेष भाग की सूचना प्रदान करने के लिए भेज देगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध हैं तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है तो ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण का लोक सूचना पदाधिकारी अपने से संबंधित सूचना दे देगा तथा साथ ही आवेदक को सलाह देगा कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन करे ।

(7) 'जानकारी' कॉल सेन्टर द्वारा प्राप्त कोई आवेदन यदि किसी ऐसे लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित किया जाता है और वह आवेदन वास्तव में किसी अन्य लोक सूचना

पदाधिकारी से संबंधित होता है, तो प्राप्तकर्त्ता लोक सूचना पदाधिकारी [illegible] को संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा [illegible] के अन्तर्गत जैसा आवश्यक हो, निष्पादन हेतु स्थानांतरित कर देगा। [illegible] मामलों में प्रथम बार आवेदन प्राप्त करने वाला लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने हेतु उस आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी नहीं समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) [illegible]

([illegible])

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना बिहार को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी मुद्रित 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को सुलभ कराने हेतु प्रेषित ।

(ह०) 19/11

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के सचिव/उप मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव, मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/सचिव, बिहार सूचना आयोग तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) 19/11

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 19.11. 2009

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार विधान सभा, पटना तथा सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को एक सी०डी० तथा दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) 19/11

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/सू.अ.–15–02/2006का 12522 /पटना–15, दिनांक 2009

प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.11.09 की मद संख्या–18 द्वारा स्वीकृति के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) 19/11

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 16/11/11

संख्या –3/एम–75/2008 सा० 3468 / भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।–

(1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति तक होगा जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियम विधायी शक्तियों के अध्यधीन हो।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. **बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–12 के बाद नया नियम–12–क जोड़ा जाना**।– उक्त नियमावली के नियम– 12 के बाद एक नया नियम 12–क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा–

"**12–क.** प्रत्येक सरकारी सेवक, अपने ऊपर सौंपे गये कर्त्तव्यों के सदभावपूर्वक पालन के प्रयोजनार्थ जनता में से किसी को या किसी संस्था को पूर्ण एवं सही जानकारी, जिसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया जा सकता हो, का संसूचन करेगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रावधानों का यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जायेगा कि किसी वर्गीकृत सूचना का किसी अप्राधिकृत रूप में अथवा किसी सरकारी सेवक या अन्य को अनुचित लाभ के लिए संसूचन की अनुमति दी गई है।"

3. **बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–14 के उपनियम (2), उपनियम (3) एवं उपनियम (4) में संशोधन**।–

उक्त नियमावली के नियम–14 में जहाँ–जहाँ अंकों एवं शब्दों में क्रमशः "500/– रु०(पाँच सौ)", "200/– रु०(दो सौ रुपये)", "75/– रु०(पचहत्तर रुपये)" एवं "25/– रु०(पचीस रुपये)" का प्रयोग हुआ है वहाँ–वहाँ उसे अंकों एवं शब्दों क्रमशः "15000/– रु० (पन्द्रह हजार रुपये)", "6000/– रु० (छह हजार रुपये)", "3000/– रु० (तीन हजार रुपये)" एवं "1000/– रु० (एक हजार रुपये)" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19 में संशोधन**।–

(i) उक्त नियमावली के नियम–19 के उपनियम (1) में शब्द समूहों 'हरेक बारह मासों के अंतराल पर' के बाद और शब्द–समूहों "अपनी आस्तियों एवं दायित्वों" के पूर्व, शब्द–समूहों "अर्थात् 31 दिसम्बर के बाद 28/29 फरवरी तक" को अंतःस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त नियमावली के नियम–19 के उपनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"(3) प्रत्येक सरकारी सेवक, सभी ऐसे संव्यवहार के संबंध में, जिसका मूल्य सरकारी सेवक के दो माहों के मूल वेतन जोड़ ग्रेड–वेतन से अधिक हो, ऐसे संव्यवहार के पूर्ण होने के एक माह के अन्दर सरकार को जानकारी देगा;

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई संव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो तो सरकार की पूर्व मंजूरी ली जायेगी।"

(iii) उक्त नियमावली के नियम–19 के उपनियम (1) की टिप्पणी (2) तथा उपनियम (5) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में अंक एवं शब्द "1000/– रु० (एक हजार रुपये)" को अंक एवं शब्दों "30,000/– रु० (तीस हजार रुपये)" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उक्त नियमावली के नियम 19 के उपनियम (7) के बाद निम्नलिखित एक नया उपनियम (8) जोड़ा जाएगा–

"(8) वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक का वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना, अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16-11-11

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या –3/एम–75/2008 सा० 3468 / **पटना, दिनांक** 16/11 2011

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16-11-11

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या –3/एम–75/2008 सा० 3468 / **पटना, दिनांक** 16/11 2011

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16-11-11

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

sec3/ZDKUL HAMEED/adhisucha bihar Aachar niyamawali 2011 07-06-2011.docx

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 16/11 2011

संख्या –3/एम–75/2008 सा० 3469/ अधिसूचना संख्या 3468 दिनांक 16/11/11 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16-11-11

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar

General Administration Department

NOTIFICATION

No. 3/M-75/2008......3468........../ In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 to the constitution of India, The Governor Bihar is pleased to make following Rules to amend the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976 –

1. **Short title, extent & commencement.**— (1) These Rules may be called "Bihar Government Servant Conduct (Amendment) Rules, 2011.
   (2) These Rules shall apply to every person appointed to a Civil Service or post in connection with the affairs of the state of Bihar and who are subject to Rules making powers of the Government.
   (3) It shall come into force at once.
2. **Addition of a new Rule 12-A after Rule-12 of Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976-** In the said Rules, after rule-12, the following new rule 12-A shall be added
   "12-A". Every Government servant shall, in performance of this duties in good faith communicate to a member of public or any organization full and accurate information, which can be disclosed under the Right to Information Act, 2005.
   Explanation.- " Nothing in this rule shall be considered as permitting communication of classified information in an unauthorized manner or for improper gains to a Government servant or others."
3. **Amendment in sub-rule(2), sub-rule(3) and sub-rule(4) of Rule-14 of the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976.**- In the said Rules, in rule 14 wherever the figures and words as "Rs. 500/-(Five hundred)", "Rs. 200/-(Two hundred)", "Rs. 75/-(Seventy five)" and "Rs. 25/-(Twenty five)", respectively been used, shall be substituted by

the figures and words "₹ 15,000 (Fifteen thousand)", "₹ 6,000 (Six thousand)", "₹ 3,000 (Three thousand)" and "₹ 1,000 (One thousand)", respectively.

4. **Amendment in rule 19 of the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976.-**

(i) In said Rules, in sub-rule (1) of rule-19, after the group of words "at the interval of every twelve months" and before the group of words "submit to the", the group of words, i.e. after 31st December till 28/29th February," shall be inserted.

(ii) In the said Rules, sub-rule (3) of rule 19 shall be substituted by the following:-

"(3) Every government servant shall intimate the Government in respect of each transaction, whose value exceeds two months basic pay plus grade pay of the government servant within a month of the completion of such transaction;

Provided that, the previous sanction of the Government shall be obtained if any such transaction is to be done with a person having official dealings with a government servant."

(iii) In the said Rule, in the note-(II) of sub-rule (1) and part (a) of the explanation of sub-rule(5) of Rule 19 the figure and word Rs. 1000/-(One thousend) shall be substituted by the figure and word ₹ 30,000(Thirty thousand).

(iv) In the said rule the following new sub rule (8) will be added after sub rule(7)-

"(8) The Government or the prescribed authority may stop the salary of the Government Servant not submitting the required return on time till he/she submits the return. Not submitting the return on time will be construed as grave misconduct in discharge of his/her duty for which he/she will be liable for departmental proceedings."

By the order of the Governor of Bihar

16.11.11

(Navin Chandra Jha)

Joint Secretary to Government

ज्ञाप संख्या –3/एम–75/2008 सा० 3469 / पटना, दिनांक 16/11/ 2011

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16.11.11

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या –3/एम–75/2008 सा० 3469 / पटना, दिनांक 16/11/ 2011

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.11.11

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

sec3/ZDKUL HAMEED/adhisucha bihar Aachar niyamawali 2011 07-06-2011.docx